

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-81(6) दिनांक-07.02.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत 69(उनहत्तर) परिचारिका श्रेणी 'ए' को अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के तहत सिस्टर ट्यूटर से संबंधित शैक्षणिक कार्य करने हेतु 26(छब्बीस) ए०एन०एम०/जी०एन०एम० नर्सिंग स्कूलों में प्रतिनियुक्त किया गया है।

2-सम्यक विचारोपरांत उक्त आदेश के क्रमांक-10 में अंकित उदयवीर सिंह, सदर अस्पताल, मधेपुरा को ए०एन०एम० स्कूल, भागलपुर में, क्रमांक-21 में अंकित मनीष भार्गव, सदर अस्पताल, मधेपुरा को ए०एन०एम०, बाढ़, पटना में एवं क्रमांक-25 में अंकित गंगाधर शिवाजी पारिश्वार्ड, सदर अस्पताल, मधेपुरा को ए०एन०एम० स्कूल, मधुबनी में की गई प्रतिनियुक्ति को रद्द किया जाता है।

3-उक्त तीनों कर्मियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने मूल पदस्थापित संस्थान में दो दिनों के अंदर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

(परिवार कल्याण, मातृशिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 6/एन-01-60/2015-407(6)

पटना दिनांक 24/05/2018

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला के सिविल सर्जन एवं प्राचार्या/प्रभारी प्राचार्या, ए०एन०एम० नर्सिंग स्कूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित परिचारिका श्रेणी 'ए' कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


24/05/18

निदेशक प्रमुख

(परिवार कल्याण, मातृशिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग),
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

